फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 101/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/105) **श्री देवीसिंह व अन्य बनाम श्रीमती परताबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.09.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री भुरालाल डांगी - वकील अपीलार्थी 2. श्री नंदलाल रेगर - वकील प्रत्यर्थी-1 **अनवान** **1. श्री देवीसिंह पुत्र श्री उदयसिंह सोलंकी, निवासी कालामगरा, मु.पोस्ट मोलेला तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।** **2. श्री रामसिंह पुत्र श्री उदयसिंह सोलंकी, निवासी कालामगरा, मु.पोस्ट मोलेला तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।** **अपीलार्थी** **बनाम** **1. श्रीमती परताबाई पत्नि श्री हमेरसिंह राजपूत, निवासी हनुमान मंदिर के पास, सुराणा डोडावली तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।** **2. ग्राम पंचायत मोलेला जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत मोलेला, तहसील खमनोर जिला राजसमंद।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, बप्रकरण संख्या 06/2012 निर्णय दिनांक 27.09.2022 एवं नामान्तरकरण संख्या 2983 दिनांक 07/09/2020 ग्राम पंचायत मोलेला (अनवान श्रीमती परताबाई बनाम ग्राम पंचायत मोलेला व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 06.09.2024 **उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, बप्रकरण संख्या 06/2012 निर्णय दिनांक 27.09.2022 एवं नामान्तरकरण संख्या 07/09/2020 ग्राम पंचायत मोलेला (अनवान श्रीमती परताबाई बनाम ग्राम पंचायत मोलेला व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।** प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा समक्ष वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती परताबाई द्वारा ग्राम पंचायत मोलेला द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2983 दिनांक 07.09.2020 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में मूल पुरूष श्री उदयसिंह के दो पुत्र श्री देवीसिंह एवं श्री रामसिंह व एक पुत्री श्रीमती परताबाई है, परन्तु ग्राम पंचायत मोलेला द्वारा श्री उदयसिंह की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2983 दिनांक 07.09.2020 केवल दोनों पुत्रों श्री देवीसिंह व रामसिंह के नाम स्वीकृत किया, परन्तु वह श्रीमती परताबाई भी श्री उदयसिंह की विधिक वारिस थी, ऐसे में उक्त नामान्तरकरण संख्या 2983 दिनांक 07. 09.2020 निरस्त फरमाया जाकर श्री उदयसिंह के तीनों वारिसान के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने का आदेश प्रदान किया जावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 101/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/105) **श्री देवीसिंह व अन्य बनाम श्रीमती परताबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

- अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा उक्त अपील स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 27.09.2022 से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार, खमनोर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि मृतक खातेदार उदयसिंह पिता श्री जवानसिंह के विधिक वारिसों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करें।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा के उक्त निर्णय दिनांक 27.09.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अन्दर मयाद अपील पेश की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 04.09.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी-1 उपस्थित। अन्य रेस्पोडेंटस् की ओर से बावजुद सूचना कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सूनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के अंकित कथनों को दोहराते हुए प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत द्वारा उदयसिंह के विरासत का नामान्तरकरण पूर्व जांच उपरान्त पारित किया गया। उक्त भूमि अपीलार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है। प्रत्यर्थी-1 गत तीस वर्षों से विवाहित होकर अपने ससुराल रहती है, उक्त भूमि पर उसका कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपील स्वीकार की गई। नामान्तरकरण एक समरी प्रोसेडिंग है, जिसमें किसी के अधिकार व हक तय नहीं किये जा सकते है, इसलिए प्रत्यर्थी-1 को अपने हक व अधिकार तय कराने हेतु वाद की कार्यवाही की जानी थी जो नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

प्रत्यर्थी-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी श्रीमती परताबाई भी जायन्दा पुत्री होकर एक वारिस है और उसका उसके पिता के विरासत में जन्म से ही अधिकार निहित है। उक्त जांच एवं तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत पारित किया है, जिससे अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 101/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/105) **श्री देवीसिंह व अन्य बनाम श्रीमती परताबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा समक्ष वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती परताबाई द्वारा ग्राम पंचायत मोलेला द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2983 दिनांक 07.09.2020 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में मूल पुरूष श्री उदयसिंह के दो पुत्र श्री देवीसिंह एवं श्री रामसिंह व एक पुत्री श्रीमती परताबाई है, परन्तु ग्राम पंचायत मोलेला द्वारा श्री उदयसिंह की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2983 दिनांक 07.09.2020 केवल दोनों पुत्रों श्री देवीसिंह व रामसिंह के नाम स्वीकृत किया, परन्तु वह श्रीमती परताबाई भी श्री उदयसिंह की विधिक वारिस थी, ऐसे में उक्त नामान्तरकरण संख्या 2983 दिनांक 07.09.2020 निरस्त फरमाया जाकर श्री उदयसिंह के तीनों वारिसान के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने का आदेश प्रदान किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा उक्त अपील स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 27.09.2022 से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार, खमनोर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि मृतक खातेदार उदयसिंह पिता श्री जवानसिंह के विधिक वारिसों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करें। उक्त निर्णय से व्यथीत होकर यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली से यह प्रकट होता है कि पटवारी हल्का मोलेला द्वारा वादग्रस्त आराजीयात राजस्व ग्राम मोलेला, तहसील खमनोर की जमाबंदी संवत् 2076-2076 के खाता संख्या 471, 670, 977 एवं 978 में विरासत का नामान्तरकरण उदयसिंह के बजाय श्री देवीसिंह एवं रामसिंह के नाम ही स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में श्रीमती परताबाई का श्री उदयसिंह की पुत्री होने का अंकन किया जाकर विधिक वारिस माना है। ऐसा नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय की सिद्वान्त के विपरित होने एवं सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान को नजरअदांज कर पारित किये जाने से त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण है। **हिन्दु उत्तराधिकार कानून एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-40 के तहत पिता की सम्पत्ति में निर्वसीयती पिता की सम्पत्ति पर पुत्र एवं पुत्रियों का समान अधिकार होता है, इस विधिक स्थिति को हम स्वीकार करते है। यह भी प्रावधित है कि संतान का अपनी पिता की सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार व हक निहित होता है।** हस्तगत प्रकरण में यह न्यायालय पाता है कि विवादित भूमियां श्री उदयसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित थी और जायन्दा पुत्री श्रीमती परताबाई भी प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसकी मृत्यु उपरान्त विरासत के नामान्तरकरण की अधिकारी थी, उसका नाम भी राजस्व अभिलेखों में अपेक्षित जांच उपरान्त दर्ज किया जाना अपेक्षित था, जो ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया। जहां तक नामान्तरकरण की कार्यवाही में हक व अधिकार का प्रश्न है, निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि-

2021 आरबीजे पेज 670 में यह प्रतिपादित किया है कि - RAJASTHAN LAND REVENUE ACT- 1956- Section 135- Mutation proceedings are not record of right they are only fiscal in nature.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 101/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/105) **श्री देवीसिंह व अन्य बनाम श्रीमती परताबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Mutation proceedings do not confer any rights in the disputed land if non petitioner have any right in the disputed land best remedy available is to file suit for declaration and get their right decided in regular suit. 2002 आरआरटी (1) पेज 77 में यह प्रतिपादित किया है कि – RAJASTHAN LAND REVENUE ACT- 1956- Section 113- Mutation - Once the dispute about the right to succession was raised at the time of mutation, it was not opento revenue authorities to adjudicate upon the right to succession but the matter should have been referred to the civil court. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नामान्तकरण की प्रविष्टि कोई अधिकार, स्वामित्व अथवा हित सृजित नहीं करती है, केवल मात्र भौतिक प्रविष्टियां है और अपने अधिकारों, स्वामित्व व अन्य हकों के लिए समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु सक्षम होना बताया गया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलार्थी को चाहिये कि वह अपने हक व अधिकार साबित करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद खातेदारी घोषणा बाबत विहित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत करे। हस्तगत प्रकरण में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा सभी पहलुओं पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन आदेश प्रसारित किया है। उक्त निर्णय एक तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। **अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2022 यथावत रखा जाता है।** तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	